न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 433/2023

अनवान : –

1. संदीप कुमार पुत्र करतार सिह जाति जाट निवासी बुडाना तहसील नारनौंद तहसील हिसार।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 14/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 368/350 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक करतारसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के पिता करतारसिंह पुत्र अमरसिंह का दिनांक 04.06.2018 को स्वर्गवास हो चुका है जिसकी सेवा व देखभाल वादी करता था जिससे खुश होकर करतारसिंह पुत्र अमरसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 09.03.2016 को अपनी स्वयं अर्जित भूमि की एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के प0न0 388/461(298) के किला न0 1 ता 19 व 22 ता 22 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि यानि समस्त भूमि की वसीयत अपने पुत्र सन्दीप कुमार पुत्र करतार सिंह यानि वादी के पक्ष में करवाई थी। करतारसिंह पुत्र अमरसिंह की यह पहली व अंतिम वसीयत थी जो वसीयतकर्ता ने अपने होश व हवाश के साथ दो गवाह रणवीर सिंह पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर व रघुवीर पुत्र बद्रीराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर के मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किया था तथा उक्त वसीयत उप पंजीयन रामगढ़ तहसील नोहर से दिनांक 09.03.2016 को पंजीकृत है।

उपरोक्त वसीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का विवाद व स्थगन आदि नही है तथा वादी अपने पिता के देहान्त के बाद वसीयत भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादीगण ने प्रतिवादी को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को मुताबिक वसीयत दर्ज कर देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया कि वादी ने वाद भूमि मे घोषणा करवाने का कथन कर अपने हकों की घोषणा चाही गई है प्रार्थी स्वयं साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित करें एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहान श्री रणवीर व रघुवीर पि0 बद्रीराम जाति जाट निवासी उज्जलवास के बयान लिये किये जो की बाद तस्दीक शामिक मिसल किये। गवाहान द्वारा बयान तस्दीक करवायें गये की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष हस्ताक्षर किये है। वसीयत की गई वाद भूमि पर कोई विवाद नही है। उक्त वाद भूमि वसीयतकर्ता को अलॉट शुदा भूमि है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 रोही मौजा 11 बारानी खाता संख्या 368/350 प्रदर्श–1, मूल वसीयत प्रदर्श–2, वसीयत की चित्रप्रति प्रदर्श– 2 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक करतार सिंह प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तरकरण 551 रोही मौजा 11 बारानी पटवार हल्का ढीलकी प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जो कि करतारसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है कि करतारसिंह पुत्र अमरसिंह ने अपने जीवन काल में दिनांक 09.03. 2016 को एक रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र सन्दीप कुमार पुत्र करतार सिंह (वादी स0 1) के पक्ष में करवाई थी। वसीयत के अनुसार वाद भूमि वादी के नाम दर्ज की जाकर वाद वादी डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 368/350 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वादी के पिता मृतक करतारसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रदर्श–3 मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है कि करतार सिंह पुत्र अमरसिंह का देहान्त हो चुका है। उक्त वाद भूमि की पत्रावली में संलग्न मूल वसीयत ईएक्सपी–2 से साबित है कि वादी के पिता करतार सिंह पुत्र अमरसिंह ने दिनांक 09.03.2016 को एक रजिस्टर्ड वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के प0न0 388/461(298) के किला न0 1 ता 19 व 22 ता 22 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की वसीयत अपने पुत्र सन्दीप कुमार पुत्र करतार सिंह यानि वादी के पक्ष में तहरीर करवाई है। वादी का कथन है कि उक्त वसीयत पर बतौर गवान रणवीर सिंह व रघुवीर सिंह पि0 बद्रीराम के समक्ष मेरे पिता करतार सिंह पुत्र अमरसिंह ने वसीयत करवाई थी। वादी के कथनों एवं उक्त वसीयत के संबंध में गवाहन रणवीर सिंह व रघुवीर सिंह पि0 बद्रीराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर के बयान लिये गये दोनो गवाहों ने बयान तस्दीक करवायें की उक्त वसीयत करतार सिंह ने अपने पुत्र सन्दीप के पक्ष मे करवाई थी एवं वसीयतकर्ता ने हमारे समक्ष उक्त वसीयत पर हस्ताक्षर किये थे। वसीयतकर्ता को उक्त वाद भूमि अलॉट शुदा भूमि है तथा वाद भूमि के संबंध में कोई वाद विवाद नही है। प्रदर्श–4 प्रमाणित प्रतिलिपी नामान्तरण संख्या 551 रोही मौजा 11 बारानी से साबित है कि उक्त वाद भूमि वसीयतकर्ता की स्व अर्जित भूमि है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 368/350 के के प0न0 388/461(298) के किला न0 1 ता 19 व 22 ता 22 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा करतारसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक करतारसिंह पुत्र अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 433/2023

अनवान : –

1. संदीप कुमार पुत्र करतार सिह जाति जाट निवासी बुडाना तहसील नारनौंद तहसील हिसार।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 433 सन 2022 निर्णय दिनांक 14/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 368/350 के के प0न0 388/461(298) के किला न0 1 ता 19 व 22 ता 22 की कुल 5.8190 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा करतारसिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक करतारसिंह पुत्र अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:38:37 IST
Reason: SelfAttested